राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 10.04.2020

अधिसूचना

कोविड–19 वैश्विक महामारी (Pandemic) ने व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर स्वच्छता व साफ–सफाई की महत्ता को प्रमुख रूप से रेखांकित किया है। सामान्य तौर पर यह देखने में आता है कि आमजन द्वारा थूंक/पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों पर यहां–वहां थूंक दिया जाता है, जिससे कोविड–19 के संक्रमण के फैलने की आंशका रहती है। इस संक्रमण को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि आमजन की इन अस्वास्थ्यकारी (Unhealthy) आदतों पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाया जावे।

ऐसी स्थिति में कोविड–19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोक हित में राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थूंक/पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों/संस्थानों में थूकंने पर एतद द्वारा तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

10/04/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. समस्त निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त पुलिस अधीक्षक, राज.
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
10. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
14. **निजी /रक्षित पत्रावली**

(संजय कुमार) 10.4.2020
शासन उप सचिव